नम्बर व ... अहकाम ... की तामील

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
प्रकरण सं.—87 / 2021

उनवान
अर्जुन वगै0 बनाम धर्मपाल वगै0

1. अर्जुन उम्र 28 वर्ष पुत्र विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं। (मृतक)
2. किस्मत पुत्री विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. खजान पुत्री विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. बुलकेश पुत्री विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. मनोज पुत्री विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. सन्तोष पत्नी विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. समन्दरसिंह पुत्र विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. सुमित्रा पुत्री विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. सोनू पुत्र विश्वनाथ जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. सुमन पुत्री विश्वनाथ पत्नी सुरेश जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर हाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

2/1 जसवन्त उम्र 11 वर्ष पुत्र सुमन (सुरेश) जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर हाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये कुदरती वलि पिता सुरेश जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

2/2 साक्षी उम्र 7 वर्ष पुत्री सुमन (सुरेश) जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर हाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये कुदरती वलि पिता सुरेश जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

2/3 योगेश उम्र 2 वर्ष पुत्र सुमन (सुरेश) जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर हाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये कुदरती वलि पिता सुरेश जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

3 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

—अप्रार्थीगण / अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

5

उपस्थित अभिभाषक गण :-

1. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा – आवेदकगण की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 24.05.22

आवेदन पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण व अनावेदक नं. 2 की टीनेन्सी की भूमि ख.नं. 1135 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.नं. 1136 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.नं. 1845/1137 रकबा 2.2100 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.2300 हैक्टर वाके सरहद इस्लामपुर पटवार हल्का इस्लामपुर तहसील झुन्झुनूं में स्थित है तथा अनावेदक नं. 1 की टीनेन्सी की जमीन ख.नं. 1110/1763 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. रास्ता व ख.नं. 629 रकबा 1.33 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टर वाके ग्राम इस्लामपुर पटवार हल्का इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं में स्थित है। भूमि ख.नं. 1135, ख.नं. 1136 व ख.नं. 1845/1137 में आने जाने का रास्ता इस्लामपुर से गांव चिचड़ोली जाने वाले रास्ता ख.नं. 1110/1763 से ख.नं. 629 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आगे जाकर भूमि ख.नं. 1135, 1136, 1845/1137 में चला जाता है उक्त रास्ता कदिमी है। उक्त इस्लामपुर से गांव चिचड़ोली जाने वाले रास्ते को आवेदन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में क से ख दिखाया गया है व आवेदकगण की भूमि में जाने वाले रास्ते को आवेदक पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में लाल लाईन से मार्क । से ठ दिखाया गया है। आवेदकगण । से ठ रास्ते को अपनी भूमि में आने जाने के लिये उपयोग में लेते आ रहे थे तथा अपनी फसल काश्त करने, फसल लाटकर ले जाने व पशुधन आदि ले जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे। अनावेदक नं. 1 जमीन ख.नं. 629 में रास्ता कायम करने पर जितने रकबा की भूमि रास्ते में जावेगी उतनी भूमि आवेदकगण अपनी टीनेन्सी की भूमि में से देने के लिये तैयार है। यदि अनावेदक नं. 1 भूमि नहीं लेना चाहता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी एल सी रेट व अदालत हाजा द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदकगण अनावेदक नं. 1 को अदा करने को तैयार है। चूंकि आवेदकगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने या डी एल सी रेट के अनुसार राशि अदा करने को तैयार है इसलिये अनावेदक नं. 1 को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आवेदकगण के लिये । से ठ रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अतः बिन्दु । से ठ बिन्दु तक 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाना उचित एवं न्यायोचित है। (क) आवेदकगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा में दर्शाये गये 'क' से 'ख' रास्ते से पश्चिम की तरफ अनावेदक नं. 1 की टीनेन्सी की भूमि ख.नं. 629 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आवेदन पत्र के साथ पेश नक्शा में लाला लाईन से दर्शाया गया । से ठ रास्ता 15 फीट चौड़ा कायम किये जाने का आदेश दिया जावे व इस रास्ते के नये नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने तथा नक्शा में दर्शाये गये । से ठ रास्ते को लाल लाईन से दिखाया जाकर नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/3 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया तथा नियत समय पर जवाब पेश नहीं करने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब देही बंद की गई। तहसीलदार झुन्झुनू से उक्तानुसार मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक

झुन्झुनू (राज.)

राजस्व/2021/160 दिनांक 15.03.2022 द्वारा पेश की गई कि आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता जिसकी चौड़ाई 15 फीट की मांग की गई है। उक्त चाहा गया रास्ता निम्नतम दुरी 96 मीटर पर है जिसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। आवेदकगण के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1135, 1136, 1845/1137 में जाने हेतु 15 फीट का रास्ता खसरा नम्बर 629 में से आवेदकगण द्वारा चाहा गया है जो कि निम्नतम रास्ता है। तथ्यों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण को अपने जोत तक पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक कटानी रास्ता मौजूद नहीं है तथा रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः

आदेश

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में अंकितानुसार ग्राम इस्लामपुर स्थित भूमि ख.नं. 629 रकबा 1.33 हैक्टर में दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे बिन्दु सं. A से B तक 96 मीटर लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है जिसका कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। उक्त रास्ते बाबत भूमि (440 व0मी0) के एवज में वर्तमान डी.एल.सी. दर से दोगुनी कीमत अनावेदक सं. 1 धर्मपाल पुत्र मोहनलाल को प्रतिकर के रूप में आवेदक द्वारा भुगतान की जावेगी। उक्त राशि आवेदक द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर ग्राम इस्लामपुर स्थित भूमि ख.नं. 629 रकबा 1.33 हैक्टर में दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे बिन्दु सं. A से B तक 96 मीटर लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे व उक्त रास्ते की कुल 440 वर्ग मीटर भूमि को अनावेदक सं. 1 की खातेदारी में से कम करके उसका लगान भी हजफ कर दिया जावे। यदि अनावेदक संख्या 1 द्वारा उक्त राशि नहीं ली जाती है तो नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर रास्ता कायम करने की कार्यवाही की जावे। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार झुन्झुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को 24.05.2022 टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू